



2026:AHC:60361

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 7721 वर्ष 2023

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

16 फरवरी 2026 को सुरक्षित

24 मार्च, 2026 को पारित

24 मार्च, 2026 को निर्णय अपलोड किया गया

श्रीमती हसीना खातून

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी दल

आवेदक के लिए अधिवक्ता : जयदीप पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता महताब आलम

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जयदीप पांडे, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री महताब आलम और श्री आर के शुक्ला, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शशिधर पांडे को सुना।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वर्तमान आवेदन **सीआरपीसी की धारा 482** के तहत, आवेदन के **प्रार्थना खंड** में उल्लिखित राहत के लिए दायर किया गया है। आवेदन में मांगी गई राहत नीचे दी गई है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार करने और विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), मुरादाबाद द्वारा निष्पादन केस संख्या 697/2022 श्रीमती हसीना खातून बनाम अहमद @ रमजानी, घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 की धारा 31 के तहत, केस संख्या 10095/2017, हसीना खातून बनाम अहमद अली, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत से उत्पन्न, दिनांक 23/01/2023 के आदेश को रद्द करने की कृपा करे, जिसके द्वारा ट्रायल अदालतों ने आवेदक के 2,64,000/- रुपये की वसूली के निष्पादन आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया था ;

और

इस बीच, ट्रायल अदालत को निर्देश दिया जाए कि वह विपक्षी पार्टी नंबर 2 के खिलाफ 2,64,000 रुपये की वसूली का सर्टिफिकेट जारी करे। यह रकम अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के लिए अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर तय की गई थी। साथ ही, अदालत मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उचित आदेश भी पारित कर सकती है।

3. मामले के तथ्यात्मक विवरण के अनुसार, आवेदक का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत 23/05/1990 को विपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ था और इस वैवाहिक संबंध से 1992 में एक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ और दूसरी पार्टी ने 21/07/1995 को याचिकाकर्ता और उसके दिव्यांग बेटे को घर से निकाल दिया। याचिकाकर्ता को उसके ससुराल से निकाले जाने का कारण उसके माता-पिता द्वारा दहेज की मांग पूरी न कर पाना था। इसके बाद, आवेदिका ने अपने पति (विपक्षी संख्या 2) और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 498-A आदि के तहत मामला दर्ज कराया। वर्ष 2011 में समझौता हो गया और आवेदिका अपने पति (विपक्षी संख्या 2) के साथ रहने लगी। हालाँकि, कुछ समय बाद यानी 20/05/2017 को, विपक्षी संख्या 2 ने आवेदिका को उसके बेटे के साथ फिर से घर से निकाल दिया और उस दिन से, वह उसी गाँव में अपने दिव्यांग बेटे के साथ किराए के मकान में रह रही हैं।

4. याचिकाकर्ता (पत्नी) ने आरोप लगाया कि विपक्षी नंबर 2 (पति) ने उसका भरण-पोषण करने में कोई मदद नहीं की और उसे गुज़ारे के लिए कोई भी आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया, जबकि वह अलग-अलग स्रोतों से हर महीने लगभग 50,000 रुपये कमा रहा था। इसके बाद, आवेदक ने 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन को मुरादाबाद की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट IV अदालत में वाद संख्या 10095/2017 (हसीना खातून बनाम अहमद अली) के तौर पर दर्ज किया गया। आवेदक ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए भी आवेदन किया था। विपक्षी नंबर 2 पेश हुआ और उसने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने 19/07/2019 के आदेश के ज़रिए अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन को मंजूरी दे दी। अदालत ने विपक्षी संख्या 2 को निर्देश दिया कि वह हर महीने की 10 तारीख को आवेदक को 4,000 रुपये प्रति माह, और साथ ही उसके दिव्यांग बेटे को भी 4,000 रुपये प्रति माह (कुल 8,000 रुपये प्रति माह) का भुगतान करे। 19/07/2019 का आदेश नीचे चिपकाया जा रहा है :-



Smt. Hastings Khindani, Ahmed Ali G. Ransoni
& another

Case No. 10095/2017

19.7.19

Called out. Both did Counsel had heard on All UR
23 DV Act on previous date. Today file filed for demanding
order on above mentioned all.

Affidavit stated in All that she
is legally wedded wife of Offendant No. 1 and Offendant No. 2
in second wife of Offendant No. 1. She stated that she has
a boy that is handicapped & he is legitimate child of
Offendant No. 1. She said that Affidavit is illegitimate lady
& she has no source of income. She is legally wedded wife of
Offendant No. 1 till now & now she has not married another.
Offendant No. 1 has more property & he runs a school.

abandoned all based on frivolous facts. He stated that
Consistent knows nothing & nothing & son muddar has
a mobile sitting & behaving that.

Heard both did Counsel & Counsel
the second Affidavit all UR 23 DV Act. Stated with affidavit
Offendant No. 1 accepts this that Consistent & her son is
legally wedded wife & legitimate child of him collectively.
Every husband has legal, social & moral responsibility
towards his wife & children. Hence all UR 23 DV Act is
partially accorded an Offendant No. 1 Ahmed Ali G. Ransoni
will pay 40000/- to Consistent that is legally wedded





5. दिनांक 19/07/2019 के उपरोक्त आदेश की टंकित प्रति नीचे दी गई है :-

“19.7.19

मामला पुकारा गया। पिछली तारीख पर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत आवेदन पर दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया था। आज उक्त आवेदन पर आदेश सुनाने के लिए नियत है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदिका ने आवेदन में कहा है कि वह विपक्षी संख्या 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और विपक्षी संख्या 2, विपक्षी संख्या 1 की दूसरी पत्नी है। उसने बताया कि उसका एक बेटा है जो दिव्यांग है। वह विपक्षी संख्या 1 की जायज़ संतान है। उसने कहा कि आवेदिका एक अनपढ़ महिला है और उसकी आय का कोई साधन नहीं है। वह अभी भी विपक्षी संख्या 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है क्योंकि उसने दूसरा विवाह नहीं किया है। विपक्षी संख्या 1 के पास बहुत संपत्ति है और वह एक स्कूल चलाता है।

विपक्षी ने आपत्ति में कहा कि उपरोक्त आवेदन तुच्छ तथ्यों पर आधारित है। उसने कहा कि शिकायतकर्ता बुनाई और सिलाई जानती है और बेटे मुद्दसिर की मोबाइल बिक्री और मरम्मत की दुकान है।

दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। आवेदक ने घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 23 के तहत शपथ-पत्र के साथ आवेदन किया है। विपक्षी संख्या 1 ने स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उसका बेटा उसका वैध बच्चा है। हर पति की अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कानूनी, सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारी है। इसलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) की धारा 23 के तहत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 1, अहमद अली उर्फ रमज़ानी, अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी (शिकायतकर्ता) को 4000/- रुपये और अपने दिव्यांग वैध बेटे को 4000/- रुपये का भुगतान करेंगे। कुल 8000/- रुपये (आठ हजार रुपये) का भुगतान संबंधित मामले के अंतिम निस्तारण तक हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से बिना किसी देरी के किया जाएगा।

शिकायतकर्ता के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए फ़ाइल 9/8/19 के लिए सूचीबद्ध की गई है।



हस्ताक्षर/-“

6. 19/07/2019 के आदेश से व्यथित होकर, विपक्षी संख्या 2 ने डीवी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 41/2019 (पुरानी संख्या 22807/2019) (अहमद अली उर्फ रमज़ानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) दायर की, जिसे 01/04/2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। 01/04/2022 का आदेश नीचे दिया जा रहा है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



UPMO010080742019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सत्र संख्या-4/विशेष न्यायाधीश
(इ.पी. ई.सी.) स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1981, मुरादाबाद, ।
पीछासीन अधिकारी- (संख्या चौथरी), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06163

वाणिज्य अपील संख्या- 41/2019

अहमद अली उर्फ. इमरानी पुत्र सय्यद मुन्सिफ प्रान हाजपुर मुबारकपुर उर्फ कोयपुर
धाना छजलैट जिला मुबारकपुर

क्याह-

- 1-उत्तर प्रदेश राज्य
- 2-बीमाई हसीना खातून पत्नी अहमद अली उर्फ रमजानी
- 3-मुदस्तिर पुत्र अहमद अली उर्फ रमजानी

निवासीय प्रान हाजपुर मुबारकपुर उर्फ कोयपुर धाना छजलैट जिला मुबारकपुर

-निर्णय-

अपीलार्थी अहमद अली उर्फ रमजानी द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य अपील अपर न्यायालय के आदेश दिनांक 19-7-2019 जिसके द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-4 मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-10095/2017 द्वारा 18,19,20,22 डी.पी.एक्ट हसीना खातून बनाम अहमद अली उर्फ रमजानी में प्रार्थनी के प्रार्थना-पर 23 डी.पी.एक्ट में प्रार्थनी को 4,000/- रुपये व उसके बालिन अपर पुत्र मुदस्तिर को 4,000/- रुपये प्रतिमाह कुल 8,000/- रुपये प्रतिमाह अन्तर्निम भरव-पैषय अथ रुपये डेयु आदेश पारित किया गया था, से दुआ होकर प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना-पर अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में इस आशय से दिया था कि उसकी शादी 23-5-1990 को मुस्लिम रीति रिवाज से प्रतिवादी संख्या-1 अहमद अली उर्फ रमजानी से हुई थी। प्रतिवादी संख्या-2 प्रतिवादी संख्या-1 की दुल्ही पत्नी है प्रार्थनी का विवाह उसके घर वालों में अपनी होंसियत के अनुसार दान दहेज देकर किया था किन्तु प्रतिवादी व उसके घर वाले उससे सम्बुध नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। बगि पूरी व होने पर प्रार्थनी को घर से निकालने व जल से मारने की धमकी देते थे इसी बीच प्रार्थनी के एक पुत्र पैदा हुआ जो बोलियावेगरा है और उसकी आयु 23 वर्ष है। दिनांक 21-7-1995 को दहेज के कारण प्रार्थनी व उसके पुत्र को प्रतिवादी संख्या-1 ने मारपीट कर घर से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर दे रहा है। अर्पणारी नजदीकी करता है और 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष देना चला है अतः अर्पणारी का अर्पण-पर स्वीकार किसे करने योग्य नहीं है।

दिनांक 19-7-2019 को विद्वान अरु न्यायालय ने उभय पक्षों को बुला कर प्रस्ताव अर्पणारी का धारा 23 संशुद्ध हिता से नविला का संशोधन अधिनियम 2005 का अर्पण-पर स्वीकार करते हुये 4 हजार रुपये अर्पणारी व 4 हजार रुपये अर्पणारी पुर को कुल 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष का अर्पणारी भवन-योग्य प्रदान करने का आदेश दिया किना गया है।

अर्पणारी/अर्पणारी द्वारा दिनांक 19-7-2019 के आदेश से गुवाहाटी न्यायालय प्रत्युत की गयी है व अर्पणारी के आधार संकेत में यह है कि अरु न्यायालय द्वारा दिनांक 19-7-2019 का आदेश गैर कानूनी व विरुद्ध है तथा वह नग्नाने लोके से प्रतिष्ठित किया गया है। अर्पणारी ने अपने अर्पण-पर में प्राप्त तथ्य प्रस्तुत किसे है। अर्पणारी नजदीकी करते 4-5 हजार रुपये प्रतिवर्ष देना चला है उसके पास आराधी करता नहीं है और न ही वह स्वीकृत करता है। अर्पणारी के अर्पणारी के लक्ष्य इस लक्ष्य में कोई अनितोषीय लक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अर्पणारी द्वारा अर्पणारी के विरुद्ध वर्ष 2001 में गुवाहाटी संख्या 44/2001 सर्वोच्च न्यायालय में धारा 125 दंड सं. बना उच्चतम कोर्ट कोर्ट किया था जो दिनांक 29-3-2007 को गुवाहाटी के अर्पणारी पर निर्णीत गुवाहाटी विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्पणारी को धारा 125 दंड सं. के तहत भवन-योग्य देने का अधिनियम नहीं बना था तथा अर्पणारी के पुर को आदेश की दिग्गि से बलित होने तक 1500/- रुपये प्रतिवर्ष अपने धिता से देने का अधिनियम दिया था। धुति अर्पणारी का गुवाहाटी अब बलित हो चुका है उसकी अनु 25 एवं रत्न अर्पणारी न्यायालय द्वारा अर्पणारी के पुर को बलित न करने हुये आदेश विरुद्ध किया गया है जो उचित नहीं है। अर्पणारी संख्या-3 केवल गैर से पंक्तिबद्धता है तथा धारा से गुवाहाटी लक्ष्य है और नोबलस देने व विवेचन का काम करता है उसने लोटे स्टेट नहीं लगा रही है जिससे वह 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष देना होता है। अर्पणारी/अर्पणारी ने अर्पणारी का अधिनियम कर रहा है तथा उसे बुनियाद अर्पणारी से अर्पणारी बना किसे है। अरु प्रस्ताव आदेश 19-7-2019 विरुद्ध अरु अर्पणारी की अर्पणारी स्वीकार की जाये।

गुवाहाटी तथा पत्रपत्रों का अधिनियम किया।

विता प्रकरण से धारा 397 दंड सं. पुनरीक्षण का प्रारम्भ अधिनियमित करता है उसके दिविक अधिनियम से यह लक्ष्य प्रकट होता है कि न्यायालय को आलोच्य आदेश नें मात्र अनुवृत्त, अधिनियमिता एवं अधिनियमिता पर विचार करना होता है अर्पणारी यदि आलोच्य आदेश में इन तथ्यों का अभाव है तो पुनरीक्षण/अर्पणारी न्यायालय को वह अधिनियम प्राप्त नहीं है कि वह आलोच्य आदेश में कलत्रोप कर लगे।

अर्पणारी न्यायालय को इस विन्दु पर साक्ष्य लगा होगा कि यदि अधिनियम न्यायालय के लक्ष्य किमी मामले के दो वैरिन्स निधर्न उपलब्ध हैं और उनमें से अधिनियम न्यायालय एक विचार का चयन कर लेती है तो ऐसे अधिनियम न्यायालय को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संकेत अपील/22807/2019 -अपील नहीं होने तकनीक बचाने, एचएच संकेत - 4
 यह अधिकांश नहीं होगा कि अधिनियम न्यायालय के आदेश में इलाके के अपने
 इतिहास प्रतीतिधारी कर लें।
 सम्मानित विधि अधिकांश और अधिनियम

संकेत अपील/22807/2019 -अपील नहीं होने तकनीक बचाने, एचएच संकेत - 4

आदेश
 संकेत अपील संख्या 41/2019 निरस्त की जाती है। उन्नीसवीं/अपील की
 पचासवीं इसी न्यायालय से दाखिल एकतर की जाये तथा पारित निर्णय की प्रति को
 अधिनियम अधिनियम कार्यवाही हेतु अधिनियम न्यायालय को प्रेषित दिया जाये।

दिनांक 01-04-2022

(संकेत अधिकांश)

विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एच.)
 अपर निला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कोर्ट संख्या-4 मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा अपने न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर चुकाया
 गया।

दिनांक 01-04-2022

(संकेत अधिकांश)

विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एच.)
 अपर निला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कोर्ट संख्या-4 मुरादाबाद।

Photocopy by - Teh.

Comp. by Arvindpal

W.A - 1000

संकेत अधिकांश
 अधिनियम अधिनियम कार्यवाही
 अधिनियम अधिनियम कार्यवाही



7.

अपील में अपर न्यायालय के आदेश दिनांक 19-3-2019 में कोई
 अवैधानिकता, अनुप्राण एवं अधिनियम नहीं बानी जाती है अपर न्यायालय का आदेश
 पुनः किये जाने कोष है।

अतः उन्नीस सप्ताह विनिर्णय के आदेश पर हस्ताक्षर अपील नवीकृत किये जाने
 कोष नहीं है।

दिनांक 01/04/2022 के उपरोक्त आदेश की टंकित प्रति नीचे दी गई है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
 सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(यू.पी. ई.सी.) स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1981,

पीठासीन अधिकारी (संध्या चौधरी), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06161

वाण्डिया अपील संख्या-41/2019

अहमद अली उर्फ स्पलानी पुत्र स्वं जुम्म्दा निवासी प्रास शाहपुर मुधारकपुर उर्फ कोकारपुर थाना
छजलैट जिला मुरादाबाद अपीलार्थी

बनाम

1-उत्तर प्रदेश राज्य

2- श्रीमती हसीना खातून पत्नी अहमद अली उर्फ रमजानी

3- मुदस्सिर पुत्र अहमद अली उर्फ रमजानी

निवासीगण ग्राम शाहपुर मुबारकपुर उर्फ कोफरपुर थाना छजलैट जिला

मुरादाबादीदाबाद.. विपक्षीगण

निर्णय

अपीलार्थी अहमद अली उर्फ रमजानी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील अवर न्यायालय के आदेश
दिनांक 19-7- 2019 जिसके द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-4 मुरादाबाद द्वारा
परिवाद संख्या 10095/2017 धारा 18,19,20,22 डी. पी. एक्ट हसीना खातून बनाम अहमद अली
उर्फ रमजानी में प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र 23 डी.वी. एक्ट में प्रार्थनी को 4,000/- रुपये व उसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बालिग अपंग पुत्र मुदस्सिर को 4,000/-रूपये प्रतिमाह कुल 8,000/- रूपये प्रतिमाह अन्तरिम भरण पोषण अदा करने हेतु आदेश पारित किया गया था, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत थारा 23 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में इस आशय से दिया था कि उसकी शादी 23-5-1990 को मुस्लिम रीति रिवाज से प्रतिपादी संख्या:। अहमद अली उर्फ रमजानी से हुई थी। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या:। की दूसरी पत्नी है प्रार्थनी का विवाह उसके घर वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर किया था किन्तु प्रतिवादी व उसके घर वाले उससे सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर प्रार्थनी को घर से निकालने व जान से मारने की धमकी देते थे इसी बीच प्रार्थनी के एक पुत्र पैदा हुआ जो पोलियोगस्त है और उसकी आयु 23 वर्ष है। दिनांक 21-7-1995 को दहेज के कारण प्रार्थनी व उसके पुत्र को प्रतिवादी संख्या:। ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रार्थनी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध दहेज का मुकदमा सम्बन्धित थाने में पंजीकृति कराया था इस दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादनी संख्या 2 से दूसरी शादी कर ली। वर्ष 2011 मुकदमें में सजा के डर से प्रतिवादी संख्या:। ने फैसला करके प्रार्थनी व उसके पुत्र को अपने घर ले आया। जब तक धारा 498ए भा.दं.सं. का मुकदमा समाप्त नहीं हुआ तब तक प्रतिवादी का व्यवहार प्रार्थनी के प्रति ठीक ठाक रहा और उक्त मुकदमा के समाप्त होने के पश्चात प्रतिवादी व उसकी दूसरी पत्नी प्रार्थनी को तरह-तरह से मानसिक व शारीरिक रूप से तंग व परेशान करते रहे। प्रार्थनी घटना के दिनांक 20-5-2017 से गांव में ही बुनियाद अली के मकान में अपने विकलांग पुत्र के साथ रह रही है उसके तथा उसके पुत्र का सारा खर्चा मायके वाले व गांव के लोग कर रहे हैं। प्रतिवादी न तो प्रार्थनी को कोई खर्चा दे रहा है और न ही प्रार्थनी व उसके पुत्र को साथ रखने को तैयार है। प्रार्थनी को काम नहीं जानती है वह अनपढ़ महिला है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके व उसके विकलांग पुत्र का खर्चा उसके मायके वालों पर निर्भर है प्रतिवादी के पास कृषि योग काफी जमीन है दो मकान है जिसमें प्रतिवादी व उसके बच्चे रह रहे हैं तथा दूसरे मकान में स्कूल चलाता है प्रतिवादी संख्या-1 को 50 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी आसानी से हो जाती है अतः वह 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रार्थनी व उसके पुत्र को 3 हजार रुपये प्रतिमाह अन्तरिम भरण पोषण दिये जाने का आदेश पारित किया जाये। प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दिनांक 3-12-2018 को प्रस्तुत की गयी व प्रार्थनी के कथनों से इन्कार करते हुये कहा है कि उसने प्रार्थनी व उसके परिजनों से कोई दहेज की मांग नहीं की है प्रार्थनी दिनांक 15-6-1995 को अपना सारा लेकर मायके चली गयी थी और वहीं से वह प्रतिवादी पर अपनी सम्पत्ति को बेचने का दबाव बनाती थी। प्रतिवादी ने प्रार्थनी को बुलाने का काफी प्रयास किया परन्तु वह नहीं आयी। इस कारण वर्ष 1997 में प्रतिवादी ने प्रतिवादनी संख्या 2 से दूसरी शादी कर ली है जिससे प्रतिवादी के 6 बच्चे हैं जो जीवित हैं। वर्ष 2011 में रिश्तेदारों व परिवार वालों ने बीच में पड़कर प्रार्थनी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा करा दिया था उसके पश्चात वह प्रार्थनी व उसके पुत्र को बुलाकर अपने घर ले गया कुछ दिनों तक प्रार्थनी का व्यवहार ठीक रहा उसके पश्चात प्रार्थनी प्रतिवादी संख्या 1 व से छोटी छोटी बातों पर मारपीट झगड़ा व बटवारे का दबाव बनाने लगी व प्रतिवादी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र देने लगी। प्रतिवादी ने प्रार्थनी को 3 कमरे स्कूल के मुख्य सड़क की तरफ एक कमरा 11 X 10 फिट चौड़ा दे दिया तथा उसके पीछे उतनी ही चौड़ाई में तथा 20 फिट गहराई में मकान बनाने हेतु भूमि दे दी है उक्त कमरे में प्रार्थनी का पुत्र ने मोबाइल बेचने व रिपेयरिंग करने की दुकान खोल रखी है जिससे यह 20 हजार रुपये प्रतिमाह आसानी से कमा लेता है। प्रार्थनी ने प्रतिवादी का परित्याग कर रखा है व बुनियाद अली से अवैध सम्बन्ध बना लिये हैं उन्हीं के घर पर रहकर सिलाई कड़ाई का काम करके 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेती है। प्रतिवादी के पास कोई जमीन है तीन कमरे का स्कूल बना रखा है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसको जयनोट कुमार को 15 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दे रखा है। प्रतिवादी मजदूरी करता है और हजार रुपए प्रतिमाह केमा पाता है। अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसे इन्कार करते हुये कहा है कि उसने प्रार्थनी व उसके परिजनो से कोई दहेज की मांग नहीं की है। प्रार्थनी दिनांक 15-6-1995 को अपना सारा लेकर मायके चली गयी थी और वहीं से वह प्रतिवादी पर अपनी सम्पत्ति को बेचने का दबाव बनाती थी। प्रतिवादी ने प्रार्थनी को बुलाने का काफी प्रयास किया परन्तु वह नहीं आयी। इस कारण वर्ष 1997 में प्रतिवादी ने प्रतिवादनी संख्या 2 से दूसरी शादी कर ली है जिससे प्रतिवादी के 6 बच्चे हैं जो जीवित हैं। वर्ष 2011 में रिश्तेदारों व परिवार वालों ने बीच में पड़कर प्रार्थनी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा करा दिया था उसके पश्चात वह प्रार्थनी व उसके पुत्र को बुलाकर अपने घर ले गया कुछ दिनों तक प्रार्थनी का व्यवहार ठीक रहा उसके पश्चात प्रार्थनी प्रतिवादी संख्या 1 व से छोटी छोटी बातों पर मारपीट झगड़ा व बटवारे का दबाव बनाने लगी व प्रतिवादी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र देने लगी। प्रतिवादी ने प्रार्थनी को 3 कमरे स्कूल के मुख्य सड़क की तरफ एक कमरा 11 X 10 फिट चौड़ा दे दिया तथा उसके पीछे उतनी ही चौड़ाई में तथा 20 फिट गहराई में मकान बनाने हेतु भूमि दे दी है उक्त कमरे में प्रार्थनी का पुत्र ने मोबाइल बेचने व रिपेयरिंग करने की दुकान खोल रखी है जिससे यह 20 हजार रुपये प्रतिमाह आसानी से कमा लेता है। प्रार्थनी ने प्रतिवादी का परित्याग कर रखा है व बुनियाद अली से अवैध सम्बन्ध बना लिये हैं उन्ही के घर पर रहकर सिलाई कड़ाई का काम करके 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेती है। प्रतिवादी के पास कोई जमीन है तीन कमरे का स्कूल बना रखा है जिसको जयनोट कुमार को 15 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दे रखा है। प्रतिवादी मजदूरी करता है और हजार रुपए प्रतिमाह केमा पाता है। अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।



दिनांक 19-7-2019 को विद्वान अवर न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के पश्चात प्रार्थनी का धारा 23 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये। हजार रुपये प्रार्थनी व हजार रुपये पुत्र को कुल 8 हजार रुपये प्रतिमाह का अन्तरिम भरण पोषण प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है।

प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19-7-2019 के आदेश से क्षुब्ध होकर अपील प्रस्तुत की गयी है व अपील के आधार संक्षेप में यह है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 19-7-2019 का आदेश गैर कानूनी व निराधार है तथा यह मनमाने तरीके से पारित किया गया है। प्रार्थनी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। अपीलकर्ता मजदूरी करते 4-5 हजार रुपये प्रतिमाह कमा पाता है उसके पास आराजी काशत नहीं है और न ही यह स्कूल चलाता है। प्रार्थनी ने न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थनी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध वर्ष 2001 में मुकदमा संख्या 44/2001 परिवार न्यायालय में धारा 125. दं.प्र.सं. थाना छजलैट योजित किया था जो दिनांक 29-3-2007 को गुण-दोष के आधार पर निर्णीत हुआ जिसमें परिवार न्यायालय द्वारा प्रार्थनी को धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत भरण पोषण पाने का अधिकारिणी नहीं माना था तथा प्रार्थनी के पुत्र को आदेश की तिथि से बालिग होने तक 1500/- रुपये प्रतिमाह अपने पिता से पाने का अधिकार दिया था। चूंकि प्रार्थनी का पुत्र अब बालिग हो चुका है उसकी आयु 25 वर्ष है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनी के पुत्र को बालिग न मानते हुये आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रत्यर्थी संख्या केवल पैर से पोलियोग्रस्त है तथा हाथों से पूर्णतया स्वस्थ है और मोबाइल बेचने व रिपेयरिंग का काम करता है उसने फोटो स्टेट मशीन लगा रखी है जिससे वह 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता है। प्रार्थनी



प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी का परित्याग कर रखा है तथा उसे बुनियाद असी से अवैध बना लिये है।

अतः प्रश्नगत आदेश 19.7.2019 निरस्त कर अपीलाधी की अपील स्वीकार की जाये।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

जिस प्रकार से धारा 397 दंप्र से पुनरीक्षण का प्रावधान प्राविधानित करता है उसके विधिक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि न्यायालय को आलोच्य आदेश में मात्र अशुद्धता, अवैधानिकता एवं औचित्यहीनता पर विचार करना होता है अधीर्यात यदि आलोच्य आदेश में इन तथ्यों का अभाव है तो पुनरीक्षणा अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह आसौध्य आदेश में हस्तक्षेप कर सके।

अपीलीय न्यायालय को इस बिन्दु पर सतर्क रहना होगा कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी मामले के दो वैकल्पिक निष्कर्ष उपलब्ध है और उनमें से अधीनस्थ न्यायालय एक विकल्प का चयन कर लेती है तो ऐसे अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करके अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित कर सके।

सम्मानित विधि व्यवस्था डी स्टीफन बनाम नसीबुवा एआईआर 1991 (मुन्नीम कोर्ट) 196 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारम्भ से ही यह विधि विनिश्चित कर दिया था कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दो उपलब्ध विधिक विकल्पों में से एक विकल्प काय कर लिया जाता है तो ऐसे मामलों में अपीलीया पुनरीक्षण न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

सम्मानित विधि व्यवस्था के चित्रा स्वामी रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार आई आर 1967 सुप्रीम कोर्ट 1788 में उच्चतम न्यायालय में यह विनिश्चयन किया कि अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार मात्र उन्हीं परिस्थितियों में उपलब्ध है जब कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के कोई आदेश पारित किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है अर्थात् किसी सुसंगत साक्ष्य को तिरस्कृत कर दिया गया है अथवा किसी असंगत साक्ष्य को स्वीकार कर लिया गया है तथा किसी तात्त्विक साक्ष्य को नजर अन्दाज कर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी क्रम में मुन्ना देवी बनाम राजस्थान राज्य 2001 (1) एस. सी.सी. 631 में यह विनिश्चयन किया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुये सुसंगत साक्ष्य के आधार पर उपलब्ध विधिक विकल्प का चयन कर लिया गया है तो पुनरीक्षण अपीलीय न्यायालय अपने किसी अधिकार को पतिस्थापित नहीं कर सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था शमीमा फारुखी बनाम साहिद खान (2015) 3 ए.सी.सी 705 में यह विनिश्चयन किया है कि पुनरीक्षण अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं है जब तक कि आय आदेश

अनुचित एवं विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण न हो।

हस्तगत मामले में अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी परिवादनी के प्रार्थना पत्र धारा 23 धरेलू हिंसा में प्रार्थना पत्र को गुण दोष के आधार पर सुनकर और समुचित कारण पाते हुये प्रार्थनी व अपीलार्थी के विकनाना पुत्र जओ कि परिवाहिनी के साथ रहता है और परिवादनी स्वयं कोई भी कार्य करने में अक्षम है अतः न्यायालय द्वारा दोनों को अन्तरिम भरण पोषण के रूप में 4,000-4,000 रुपये प्रतिमाह धनराशि निर्धारित की गयी है।

अपील में अंवर न्यायालय के आदेश दिनांक 19-3-2019 में कोई अवैधानिकता असुद्यता एवं औचित्यहीनता नहीं पायी आती है अवर न्यायालय का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है।



आदेश

दाण्डिक अपील संख्या 41/2019 निरस्त की जाती है। पुनरीक्षणा अपील की पाउली इसी न्यायालय से दाखिल दफ्तर की जाये तथा पारित निर्णय की प्रति को अविलम्ब अधिकार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

दिनांक 01-04-2022

संध्या चौधरी

विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या-4 मुरादाबाद।

8. अपील खारिज होने के आदेश से व्यथित होकर, विपक्षी संख्या 2 ने आपराधिक विविध आवेदन (482 सीआरपीसी) संख्या 11881/2022 (अहमद अली उर्फ रमज़ानी बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य) दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय ने, दिनांक 02/11/2022 के आदेश द्वारा, आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया । दिनांक 02/11/2022 का आदेश नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी, मुरादाबाद के अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर 4/विशेष न्यायाधीश (यूपीईसी) विशेष प्रावधान अधिनियम, 1981) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 41/2019 (पुलिस स्टेशन- छजलैट, ज़िला- मुरादाबाद) में 01/04/2022 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। यह अपील 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की धारा 23 के तहत थी। साथ ही, यह अर्जी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6th मुरादाबाद की अदालत में लंबित शिकायत मामला संख्या 10095/2017 ('घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की धारा 23 के तहत) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6th मुरादाबाद द्वारा 19/07/2019 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए भी है।

19/07/2019 के विवादित आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई है। मुख्य आधार यह है कि आवेदक के पास अपने बेटे और पत्नी को 8,000 रुपये का गुजारा-भत्ता देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। पत्नी और बेटे ने संबंधित ट्रायल अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत आवेदन किया था। ट्रायल अदालत ने आवेदक की कमाई की क्षमता पर ध्यान दिए बिना आदेश दिया कि आवेदक प्रतिवादी नंबर 2 (आवेदक की पत्नी) को 4,000 रुपये और प्रतिवादी नंबर 3 (आवेदक का दिव्यांग बेटा) को 4,000 रुपये का भुगतान करे। स्वीकृत स्थिति यह है कि आवेदक ने पहले ही दूसरी महिला से विवाह कर लिया है और पूर्व पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन दायर किया है, जिस पर मामला संख्या 10095/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया था और आवेदक को सुनने के बाद और परिस्थितियों के तहत, अन्य बातों के साथ, यह देखा गया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 दोनों ही स्वीकार्य रूप से आवेदक की पत्नी और पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में, उक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के आवेदक को हो रही कठिनाई को देखते हुए, यह आदेश/निर्देश पारित किया गया था।
चुनौती दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती।

इस स्तर पर, याचिकाकर्ता-पति समझौता करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यदि अनुमति दी जाए।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को किसी समझौते के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अवसर का उपयोग करना आवेदक की समझ पर निर्भर है और दरवाजे हमेशा खुले हैं क्योंकि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि आवेदक की पत्नी है और समझौता करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

मैंने इस मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया है। मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह हस्तक्षेप करने योग्य मामला नहीं है। हालाँकि, आवेदक के लिए आपसी समझ से मतभेदों को सुलझाने के रास्ते खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन खारिज किया जाता है। मामले के गुण-दोष पर कुछ भी नहीं देखा गया है।

9. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 19/07/2019 को पारित अंतरिम भरण-पोषण का आदेश सत्र न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) द्वारा बरकरार रखा गया था, और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा 02/11/2022 के आदेश के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता/पत्नी ने संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष 19/07/2019 के आदेश के निष्पादन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने जुलाई-2019 से अप्रैल-2022 तक की अवधि (कुल 33 महीने x ₹8,000 प्रति माह यानी कुल ₹2,64,000) के ₹2,64,000 की वसूली के लिए विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी करने की भी प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29/09/2022 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्पादन आवेदन को स्वीकार कर लिया और विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किया। इस वसूली वारंट के आधार पर, विपक्षी संख्या 2 को 30/10/2022 को गिरफ्तार किया गया था। चूंकि विपक्षी संख्या 2 (पति) ने निचली अदालत द्वारा निर्धारित भरण-पोषण की राशि जमा करने से इनकार कर दिया, इसलिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 21/11/2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि विपक्षी संख्या 2 को 30 दिनों के लिए दीवानी कारागार भेजा जाए। दिनांक 21/11/2022 का आदेश नीचे दिया गया है :-

“21.11.2022

आज विपक्षी अहमद आनी उर्फ रमजानी पुत्र स्व० जुम्मा निवासी शाहपुर मुबारकपुर उर्फ खोकरपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद को न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिकवरी गिरफ्तारी वारंट मूल्य 2,64,000/- रुपये की वसूली हेतु दिनांक 30.10.2022 को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजा गया था। विपक्षी आज जेल से न्यायालय में उपस्थित आया। विपक्षी से न्यायालय द्वारा पूछा गया कि क्या वह उपरोक्त वर्णित धनराशि जमा करने के लिए तैयार है। विपक्षी द्वारा वर्णित संपूर्ण धनराशि जमा करने से इंकार किया गया। रिकवरी के सम्बन्ध में विपक्षी की 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाना था परन्तु विपक्षी का धारा-309 सी०आर०पी०सी० का वारंट बन गया था। अतः धारा 309 सी०आर०पी०सी० का वारंट निरस्त किया जाता है। विपक्षी को 30 दिन की न्यायिक विरासत में रखने हेतु आदेशित किया जाता है। अतः विपक्षी को दिनांक 30.11.2022 तक या उपरोक्त वर्णित धनराशि जमा करने तक सिबिल कारागार में भेजा जाता है। वाद दीवानी प्रकृति का है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, विपक्षी संख्या 2 को जेल से रिहा कर दिया गया; फिर भी, वह आवेदक को भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, आवेदक ने 17/01/2023 को निचली अदालत में एक अनुवर्ती आवेदन दायर किया, जिसमें विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ नया वसूली वारंट जारी करने की मांग की गई।

11. इसके बाद, मुरादाबाद के सिविल जज (जूनियर डिवीज़न)/एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) ने 23/01/2023 के आदेश के ज़रिए, आवेदक की 17/01/2023 की अर्ज़ी को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। अदालत ने केवल अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 की अवधि (कुल ₹32,000) के लिए वसूली वारंट जारी किया। हालाँकि, ₹2,64,000 की वसूली के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विपक्षी संख्या 2 ने ₹2,64,000 के भरण-पोषण के बकाये के संबंध में पहले ही 30 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली थी, जो सीआरपीसी की धारा 300 के तहत ली गई दलील पर आधारित था। 23/01/2023 का आदेश नीचे दिया गया है:-



स्वायत्त सिविल जज यू0डि0/एफ0टी0सी0 (Crime Against Women)
भुरादावाद।

निष्पादन वाद सं0- 697 / 2022

बीमती हसीना खातून बनाम अहमद अली उर्फ रमजानी

23.01.2023

प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.01.2023 पर परिवारिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

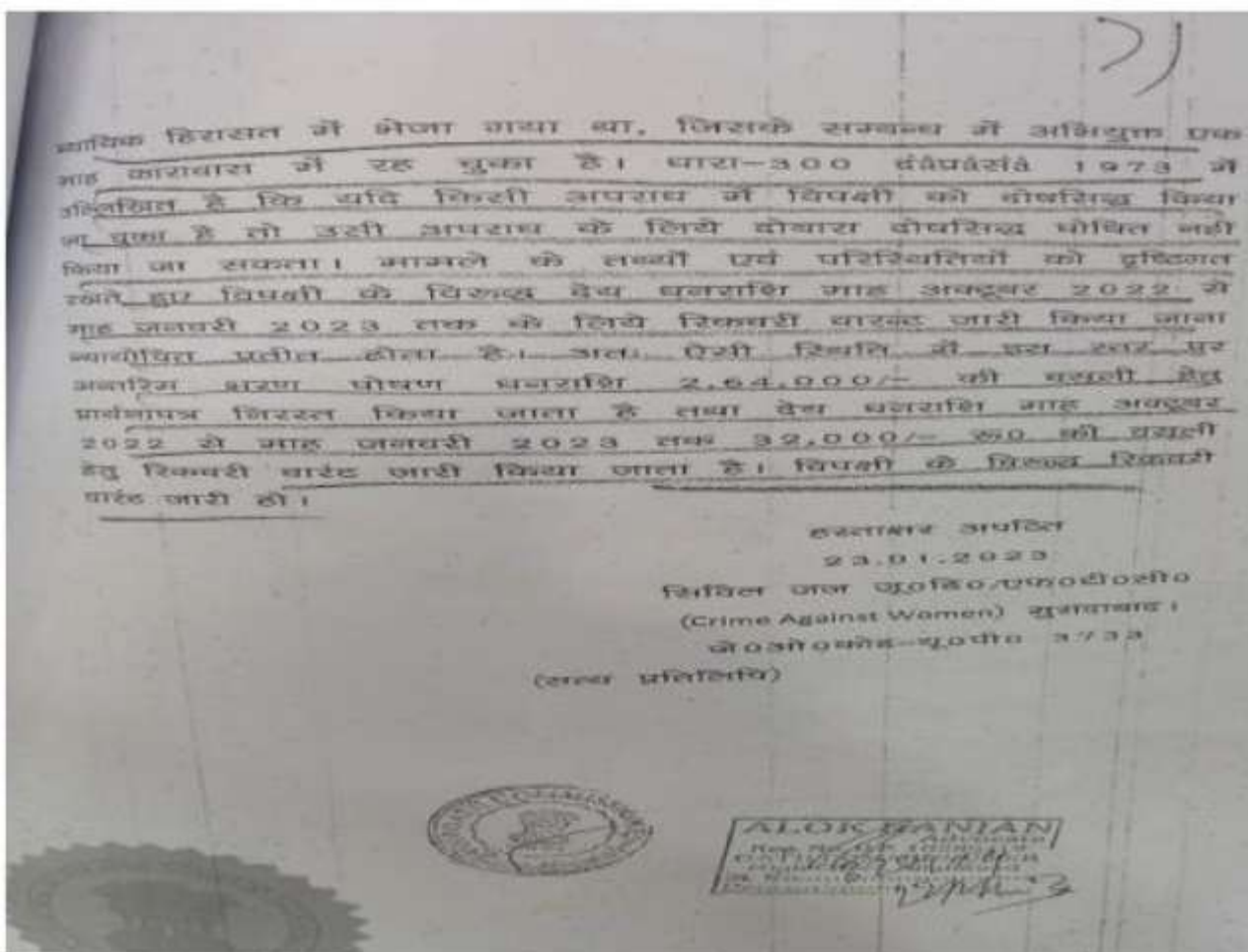
वदिनी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.01.2023 इस माहय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी अहमद अली उर्फ रमजानी पर उपरोक्त निष्पादन वाद में पर्याप्त तामील है किन्तु प्रत्यर्थी ने उपरोक्त निष्पादन वाद की धनराशि 2,64,000/- रुपये अभी तक अदा नहीं की है साथ ही प्रत्यर्थी उपरोक्त धनराशि प्राथिनी को अदा करने से इन्कार कर रहा है। जिस हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु रिकवरी चाण्ट जारी किये जाने की कृपा की जाये।

मुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2022 को विपक्षी अहमद अली के विरुद्ध रिकवरी चारण्ट जारी किया था। दिनांक 30.10.2022 को निर्णित धनराशि जमा न करने के कारण विपक्षी को 30 दिन की अवकाश प्रदान किया गया।

अहमद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. दिनांक 23/01/2023 के उपरोक्त आदेश की टंकित प्रति नीचे दी गई है :-

23.01.2023

प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.01.2023 पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वादिनी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.01.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी अहमद अली उर्फ रमजानी पर उपरोक्त निष्पादन बाद में पर्याप्त तामील है किन्तु प्रत्यर्थी ने उपरोक्त निष्पादन बाद की धनराशि 2,64,000/- रुपये अभी तक अदा नहीं की है साथ ही प्रत्यर्थी उपरोक्त धनराशि प्रार्थिनी को अदा करने से इन्कार कर रहा है। जिस हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु रिकवरी वारण्ट जारी किये जाने की कृपा की जावे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2022 को विपक्षी अहमद अली के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी किया था। दिनांक 30.10.2022 को वर्णित धनराशि जमा न करने के कारण विपक्षी को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त एक माह कारावास में रह चुका है। धारा-300 दं०.प्र.सं. 1973 में उल्लिखित है कि यदि किसी अपराध में विपक्षी को दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिये दोबारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी के विरुद्ध देय धनराशि माह अक्टूबर 2022 से माह जनवरी 2023 तक के लिये रिकवरी वारंट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अन्तरिम भरण पोषण धनराशि 2,64,000/- की वसूली हेतु प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है तथा देय धनराशि माह अक्टूबर 2022 से माह जनवरी 2023 तक 32,000/- रु० की वसूली हेतु रिकवरी वारंट जारी किया जाता है। विपक्षी के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी हो।

हस्ताक्षर अपठित

23.01.2023

सिविल जज जू०डि०एफ०टी०सी०

(Crime Against Women) मुरादाबाद।

जे०ओ० कोड यू०पी० 3733

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक (पत्नी) ने इस न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 7721 वर्ष 2023, जिसका शीर्षक 'श्रीमती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हसीना खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' है, दायर करके दिनांक 23/01/2023 के आदेश को चुनौती दी है। इस न्यायालय ने दिनांक 05/04/2023 के आदेश द्वारा, सिविल जज (जेडी)/एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), मुरादाबाद द्वारा पारित दिनांक 23/01/2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और इस आवेदन का निपटारा करते हुए कुछ निर्देश जारी किए। दिनांक 05/04/2023 का आदेश नीचे वर्णित है :-

“(1) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

(2) इस न्यायालय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग आवेदक द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किया जा रहा है ताकि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), मुरादाबाद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत निष्पादन केस संख्या 697/2022 (श्रीमती हसीना खातून बनाम अहमद रमजानी) में दिनांक 23/01/2023 को पारित आदेश को रद्द किया जा सके, जो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत केस संख्या 10095/2017 (हसीना खातून वास. अहमद अली) से उत्पन्न हुआ था, जिसके द्वारा निचली अदालत ने आवेदक के 264 लाख रुपये की रखरखाव राशि के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि विपरीत पक्ष संख्या 2 ने एक महीने की कारावास की सजा काट ली है, और इस प्रकार, शेष राशि का दावा विपरीत पक्ष संख्या 2 से नहीं किया जा सकता है।

(3) मामले के वास्तविक कानूनी पहलू पर आने से पहले, विवाद को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मामले के मूल तथ्यों को रेखांकित करना अनिवार्य है।

(ए). आवेदिका हसीना खातून का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार 23/5/1990 को विपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ था। इस जोड़े को एक बेटा हुआ, जो दुर्भाग्य से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिव्यांग था। ऐसा प्रतीत होता है कि पति-पत्नी के बीच विभिन्न कारणों से गहरी कलह थी, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 2 ने 21/7/1995 को उसे उसके विकलांग बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार, विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध धारा 498A भारतीय दंड संहिता और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत सामान्य कार्यवाही शुरू की गई।

(बी) कुछ समय बाद, समाज के कुछ नेक और सम्मानित लोगों के हस्तक्षेप तथा रिश्तेदारों की सहायता से, विपक्षी संख्या 2 को सदबुद्धि आई और उसके बाद आपस में एक समझौता-नामा निष्पादित किया गया। परिणामस्वरूप, आवेदिका विपक्षी संख्या 2 के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद, 20/5/2017 को आवेदिका को उसके दिव्यांग बेटे के साथ उसके घर से फिर से निकाल दिया गया और तब से वह अपने दिव्यांग बेटे के साथ किराए के मकान में अत्यंत दयनीय स्थिति में रह रही है, और उसकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं है।

(सी) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 2 के पास आय का पर्याप्त स्रोत है और एक मोटे अनुमान के अनुसार, वह विभिन्न स्रोतों से प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमा रहा है।

(डी) आवेदिका के पास कमाई का कोई साधन नहीं था और वह पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर थी, जो अब भी जान-बूझकर उसे और उसके दिव्यांग बेटे की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए वह दर-दर भटक रही थी। विवश होकर, आवेदिका ने मुरादाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-IV की अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला संख्या 20095/2017 (हसीना खातून बनाम अहमद अली) दायर किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ई) चूंकि आवेदक को अपने और अपने दिव्यांग बेटे के भरण-पोषण के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने परिस्थितियों की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा-23 के तहत एकतरफा अंतरिम आदेश के लिए एक और आवेदन दायर किया।

(एफ) विपक्षी संख्या 2 पर नोटिस की तामील के बाद, विपक्षी संख्या 2 ने दावा में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज की है।

(जी) रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का गहन विश्लेषण करने के बाद, ट्रायल अदालत ने 19/7/2019 के आदेश द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर लिया और विपक्षी संख्या 2 को आवेदक को ₹4,000/- और उसके दिव्यांग बेटे को ₹4,000/-, कुल ₹8,000/- प्रति माह, हर महीने की 10 तारीख को भुगतान करने का निर्देश दिया।

(एच) 19/7/2019 के पूर्वोक्त अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, विपक्षी संख्या 2 ने आपराधिक अपील संख्या 41/2019 (अहमद अली रमजानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) दायर की, लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद ने अपने आदेश दिनांक 01/4/2022 के माध्यम से विपक्षी संख्या 2 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

(आई) 01/04/2022 के आदेश से व्यथित होकर, विपक्षी संख्या 2 ने पुनः इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत आपराधिक विविध आवेदन संख्या 11881/2022 (अहमद अली रमजानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व दो अन्य) दायर किया, लेकिन न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को भांपते हुए, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त की और इस आधार पर, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, उक्त 482 आवेदन को 02/11/2022 को खारिज कर दिया गया।

(जे) विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने अपने पास मौजूद सभी तरीकों का इस्तेमाल किया और चालबाज़ी व धोखेबाज़ी का सहारा लिया ताकि उसे आवेदक को एक पैसा भी न देना पड़े। ऐसे हालात में, कोई और रास्ता न होने पर, आवेदक हसीना खातून ने निचली अदालत के 19/7/2019 के आदेश का पालन कराने के लिए एक 'एक्जीक्यूशन केस' (आदेश लागू कराने का मामला) दायर किया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी नंबर 2 के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी करने की मांग की है, ताकि जुलाई 2019 से अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 8,000 रुपये प्रति माह की दर से कुल 2.64 लाख रुपये की वसूली की जा सके।

(के) निचली अदालत ने 29/9/2022 को निष्पादन वाद संख्या 697/2022 में एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 अहमद अली रमज़ानी के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किए गए। उक्त वसूली वारंट के अनुसरण में, जब विपक्षी संख्या 2 आदेश का पालन करने में विफल रहा, तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 30/10/2022 को पुलिस हिरासत में निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया और जिला कारागार मुरादाबाद भेज दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(एल) आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि विपक्षी संख्या 2 ने निष्पादन न्यायालय के निर्देशों को मानने से मना कर दिया, इसलिए 21/11/2022 के आदेश द्वारा उन्हें 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। 21/11/2022 का आदेश नीचे दिया जा रहा है:

21.11.2022

आज विपक्षी अहमद आनी उर्फ रमजानी पुत्र स्व० जुम्मा निवासी शाहपुर, मुबारकपुर उर्फ खोकरपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद को न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिकवरी गिरफ्तारी वारंट मूल्य 2,64,000/- रुपये की वसूली हेतु दिनांक 30.10.2022 को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजा गया था। विपक्षी आज जेल से न्यायालय में उपस्थित आया। विपक्षी से न्यायालय द्वारा पूछा गया कि क्या वह उपरोक्त वर्णित धनराशि जमा करने के लिए तैयार है। विपक्षी द्वारा वर्णित संपूर्ण धनराशि जमा करने से इंकार किया गया। रिकवरी के सम्बन्ध में विपक्षी की 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाना था परन्तु विपक्षी का धारा 309 सी०आर०पी०सी० का वारंट बन गया था। अतः धारा 309 सी०आर०पी०सी० का वारंट निरस्त किया जाता है। विपक्षी को 30 दिन की न्यायिक बिरासत में रखने हेतु आदेशित किया जाता है। अतः विपक्षी को दिनांक 30.11.2022 तक या उपरोक्त वर्णित धनराशि जमा करने तक सिविल कारागार में भेजा जाता है। वाद दीवानी प्रकृति का है।"

(एन) उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अड़ियल विरोधी पक्ष संख्या 2 बकाया रखरखाव राशि का भुगतान करने के लिए एक इंच भी नहीं हिला, बल्कि उसने जेल जाना पसंद किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ओ) 30 दिनों की अवधि समाप्त होने पर, 30/12/2022 को विपक्षी संख्या 2 को जेल से रिहा कर दिया गया, इसके बावजूद, उसने आवेदक को 2.64 लाख रुपये की बकाया भरण-पोषण राशि का भुगतान करने की परवाह नहीं की। विवश होकर, आवेदक ने 17/1/2023 को ट्रायल अदालत में विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ "नए वसूली वारंट" जारी करने के लिए एक और आवेदन दायर किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि संबंधित न्यायालय ने आश्चर्यजनक रूप से 23/01/2023 के आदेश द्वारा इस आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया और केवल 32,000 रुपये की राशि के लिए अक्टूबर, 2022 से जनवरी, 2023 की अवधि का वसूली वारंट जारी किया। 23/01/2023 के विवादित आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

"सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस मुकदमें में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2022 को विपक्षी अहमद आली के विरुद्ध रिकवरी बारन्ट जारी किया था। दिनांक 30.10.2022 को वर्णित धनराशि जमा न करने के कारण विपक्षी की 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त एक माह कारावास में रह चुका है। धारा 300 द०प्र०सं० 1973 में उल्लिखित है कि यदि किसी अपराध में विपक्ष को दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिये दोबारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी के विरुद्ध देग धनराशि माह अक्टूबर 2022 से माह जनवरी 2023 तक के लिये रिकवरी वारंट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः ऐसी स्थिति में इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्तर पर आन्तरिम भरण पोषण धनराशि 2,64,000/- की वसूली हेतु प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है तथा देय धनराशि माह अक्टूबर 2022 से माह जनवरी 2023 तक 32,000/- रु की वसूली हेतु रिकवरी वारंट जारी किया जाता है। विपक्षी के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी हो।"

(4). मैंने दिनांक 23/01/2023 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुरादाबाद की एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) अदालत द्वारा अपनाया गया तर्क स्पष्ट रूप से अदूरदर्शी और बचकाना है, क्योंकि संबंधित अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय सीआरपीसी की धारा 300 का सहारा लिया है, जो "पूर्व दोषसिद्धि और पूर्व दोषमुक्ति" के सिद्धांत के बारे में है। उक्त धारा 300 सीआरपीसी की प्रयोज्यता के आवश्यक तत्व हैं :

(i) कि उस (अभियुक्त) पर पहले किसी अपराध के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जा चुका था।

(ii) कि ऐसी अदालत उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम थी।

(iii) कि उसे पूर्व विचारण में उस अपराध के लिए या तो दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया था।

(iv) कि जब उसके विरुद्ध कोई बाद की कार्यवाही की गई हो, तब ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति अभी भी लागू है।

(v) कि बाद की कार्यवाही में उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जा रहा है—(a) उसी अपराध के लिए; या (b) उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी ऐसे दूसरे अपराध के लिए जिसके लिए धारा 221(1)-(2) के तहत कोई अलग आरोप लगाया जा सकता था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5). अब उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों की तुलना विवादित आदेश में दिए गए तर्कों से करने पर, यह स्पष्ट होता है कि आदेश के शुरुआती हिस्से में विपक्षी संख्या 2 को जेल भेजने का कारण कोई अपराध नहीं था, और न ही उसे किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया था। चूँकि वह बकाया भरण-पोषण राशि का भुगतान करने में चूककर्ता था, इसलिए उसे दीवानी कारावास का सामना करना पड़ा ताकि वह भरण-पोषण राशि का भुगतान कर सके, और इसलिए, संबंधित न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय अपनाया गया तर्क स्वतः ही बेतुका है और सही कानून का पूर्णतः गैर-अनुप्रयोग है।

(6). अब इस मामले के एक अन्य पहलू पर आते हैं, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 43) की धारा-31 के तहत निष्पादन के लिए आवेदन। इस कानूनी बिंदु पर गहराई से विचार करने से पहले, 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के उद्देश्य पर एक सरसरी नज़र डालना अनिवार्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य बताता है कि उक्त विधेयक का मकसद निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:

“(i) इसके अंतर्गत वे महिलाएँ आती हैं जो दुर्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं या रही हैं, जहाँ दोनों पक्ष एक ही घर में साथ रहे हों और वे रक्त संबंध, विवाह, विवाह जैसी प्रकृति के संबंध या गोद लेने के माध्यम से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के रिश्ते भी इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि वे महिलाएँ जो बहनें, विधवाएँ, माताएँ, अविवाहित हैं, या दुर्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, वे भी प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी सुरक्षा की हकदार हैं। हालाँकि, जहाँ यह विधेयक पत्नी या लिव-इन पार्टनर को पति या पुरुष साथी के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ प्रस्तावित कानून के तहत शिकायत दर्ज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने का अधिकार देता है, वहीं यह पति या पुरुष साथी की किसी महिला रिश्तेदार को पत्नी या महिला पार्टनर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं देता है।

(ii) यह 'घरेलू हिंसा' अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है जिसमें वास्तविक दुर्व्यवहार या शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है। महिला या उसके रिश्तेदारों से गैर-कानूनी दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

(iii). यह महिलाओं को आवास सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह एक महिला को अपने वैवाहिक घर या साझा घर में रहने का अधिकार भी देता है, चाहे उस घर में उसका कोई मालिकाना हक हो या न हो। यह अधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निवास आदेश द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

(iv). यह मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित करने का अधिकार देता है, ताकि प्रतिवादी को घरेलू हिंसा या किसी अन्य निर्दिष्ट कृत्य को करने या उसमें सहायता करने; कार्यस्थल या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अक्सर देखी जाने वाली किसी अन्य जगह में प्रवेश करने; उससे संवाद करने का प्रयास करने; दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को अलग करने; और पीड़ित व्यक्ति, उसके रिश्तेदारों या घरेलू हिंसा से उसे सहायता प्रदान करने वाले अन्य लोगों के प्रति हिंसा करने से रोका जा सके।

(v). यह संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और गैर-सरकारी संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान करता है, ताकि पीड़ित व्यक्ति को उसकी चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(7). चूंकि उक्त आवेदन 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' की धारा-31 के तहत दायर किया गया है, इसलिए इस अधिनियम की धारा 31 और 32 का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो इस प्रकार हैं:

“31. प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.-

(1) प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम के तहत एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए एक वर्ष तक के कारावास, या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का विचारण, यथासंभव, उसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसके उल्लंघन का आरोप अभियुक्त पर है।

(3) उप-धारा (1) के तहत आरोप तय करते समय, मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498A या उस संहिता के किसी अन्य प्रावधान या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के तहत भी आरोप तय कर सकते हैं, यदि मामले के तथ्य उन प्रावधानों के तहत अपराध किए जाने का संकेत देते हों।

32. संज्ञान और सबूत.-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

(2) पीड़ित व्यक्ति के एकमात्र बयान पर, अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि आरोपी ने धारा 31 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध किया है।

(8). पूर्वोक्त धाराओं के प्रावधान प्रतिवादियों द्वारा सुरक्षा के उल्लंघन के लिए दंड के बारे में बताते हैं। अतः, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश, या अंतरिम सुरक्षा आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम के तहत एक अपराध होगा और कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।

(9). इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 29/9/2022 के आदेश द्वारा विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करते समय, पुलिस ने 30/10/2022 को विपक्षी संख्या 2 को गिरफ्तार कर लिया और उपरोक्त आदेश पारित करके उसे जिला कारागार, मुरादाबाद भेज दिया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आवेदक को 30/11/2022 तक या 2.64 लाख रुपये की बकाया राशि जमा होने तक जेल में रहने का निर्देश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2 ने पहले वाला विकल्प चुना और बकाया भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के दायित्व से कथित तौर पर मुक्त होने के लिए जेल में 30/11/2022 तक (लगभग एक महीना) की अवधि पूरी की।

(10). इस संबंध में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम' का उद्देश्य नहीं था। वास्तव में, यह एक सामाजिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कानून है जिसका उद्देश्य पत्नियों और बच्चों की रक्षा करना और पतियों के कंधों पर अपनी पत्नियों और बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी डालना है। महीनों जेल में रहने से भी विपक्षी संख्या 2 अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। जेल भेजना एक निवारक उपाय है ताकि वह बकाया भरण-पोषण की राशि का भुगतान कर दे और नियमित रूप से भुगतान करता रहे, ताकि उसकी पत्नी और बच्चे बेसहारा स्थिति में न मरें। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती कुलदीप कांत बनाम सुरेंद्र सिंह और अन्य, 1989 एससीसी 111 405 के मामले में विस्तार से प्रतिपादित किया है। इस मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को वर्तमान मामले में उपयोगी रूप से याद और लागू किया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा-31 के तहत शक्ति का प्रयोग अधिनियम की धारा-18 के तहत कथित सुरक्षा आदेशों को लागू करने का एक तरीका है और यह संतुष्टि के तरीके और दायित्व से भिन्न है जिसे केवल वास्तविक भुगतान के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। श्रीमती कुलदीप कौर (उपरोक्त) के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"एक तरफ बकाया मासिक भत्ते की वसूली लागू करने के तरीके और दूसरी तरफ उस रकम की असल वसूली करने के बीच फर्क करना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को जेल की सज़ा देना 'लागू करने का एक तरीका' है। यह दायित्व को 'पूरा करने का तरीका' नहीं है। दायित्व केवल बकाया राशि का वास्तविक भुगतान करके ही पूरा किया जा सकता है। जेल भेजने का पूरा उद्देश्य उस व्यक्ति को, जो मासिक भत्ता देने के लिए उत्तरदायी है और पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने से इनकार करता है, आदेश का पालन करने और भुगतान करने के लिए बाध्य करना है। उसे जेल भेजने का उद्देश्य उस दायित्व को समाप्त करना नहीं है जिसे पूरा करने से उसने मना कर दिया है। यह भी समझा जाना चाहिए कि मासिक भत्ता देने का आदेश प्राप्त व्यक्ति को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जेल तभी भेजा जा सकता है जब वह आदेश का पालन करने में 'पर्याप्त कारण के बिना' विफल रहता है। यह वास्तव में अजीब होगा कि यदि कोई व्यक्ति 'उचित कारण के बिना' अपनी उपेक्षित पत्नी या बच्चे के भरण-पोषण के अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो वह केवल इसलिए अपनी देयता से मुक्त हो जाए क्योंकि वह जेल जाना पसंद करता है; जेल की सजा बकाया भरण-पोषण भत्ते की वसूली का कोई विकल्प नहीं है। पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है ताकि उन्हें जरूरी आर्थिक साधन मिल सकें। उपेक्षित पत्नी या बच्चा भोजन और जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए धन के बिना नहीं रह सकते। उन्हें पैसे देने के बजाय पति को जेल भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बकाया रकम वसूल कर आदेश का पालन कराने के लिए जेल भेजना एक जरिया है। यह देनदारी खत्म करने का तरीका नहीं है। धारा में ऐसा नहीं लिखा है। संसद ने अपनी समझदारी से ऐसा नहीं कहा है और न ही इसकी शुरुआत ऐसी व्याख्या का समर्थन करती है। अदालत को इस बात के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि भरण-पोषण के आदेश के तहत दायित्व, उसे वसूल करने का प्रयास करने मात्र से ही समाप्त हो जाएगा? मासिक भत्ते का आदेश केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब मासिक भत्ता वास्तव में वसूल हो जाए.....”

(11) शांता उर्फ उषादेवी और अन्य बनाम बी.जी. शिवनंजप्पा, (2005) 4 एससीसी 468 के एक अन्य मामले में, यह माना गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 या वर्तमान अधिनियम के तहत भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने का दायित्व निरंतर दायित्व की प्रकृति का है। भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार और भुगतान करने के साथ-साथ चलने वाले दायित्व की प्रकृति साथ-साथ चलती है और इसे किसी भी दीवानी कारावास द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(12). पूंगोडी और अन्य बनाम थंगावेल, (2015) 10 एससीसी 618 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125(3) का परंतुक यह दर्शाता है कि यह प्रवर्तन का एक तरीका है, अर्थात् चूककर्ता को सिविल कारागार भेजना, और यह उक्त चूककर्ता से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने के वास्तविक अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाता है या उसे प्रभावित नहीं करता है। यह डिफॉल्टर से भरण-पोषण की वसूली और उसे बकाया राशि चुकाने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। डिफॉल्टर को जेल भेजने से अधिनियम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह डिफॉल्टर को पति के रूप में उस पर बनी देनदारी से मुक्त नहीं करेगा।

(13). इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों की सहायता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित राय का है कि दिनांक 23/01/2023 का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में टिक नहीं सकता और एफटीसी न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय संशोधित अवधि, अर्थात् अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक के लिए वसूली वारंट पुनः जारी करके घोर त्रुटि की है। धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार, डिफॉल्टर के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश या अंतरिम सुरक्षा आदेश का कोई भी उल्लंघन इस अधिनियम के तहत एक अपराध होगा और कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष तक की अवधि का हो सकता है, या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

(14). यह अपराध गैर-ज़मानती और संज्ञेय है, इसलिए अदालत को दोषी को अपराध के अनुसार अधिकतम सज़ा देनी चाहिए थी, जबकि विपक्षी संख्या 2 ने दूसरी महिला से पुनर्विवाह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर लिया है और जीवन का आनंद ले रहा है, और याचिकाकर्ता तथा उसके दिव्यांग बेटे को बेसहारा छोड़ दिया है। यह एक अक्षम्य अपराध और पाप है, जिसके लिए बिना किसी नरमी के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' की धारा-31 के तहत विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी; और अगर वे रकम वसूल नहीं कर पाते हैं, तो भी वे बकाया गुज़ारा-भत्ते की पूरी रकम वसूलने के लिए उसकी अचल संपत्ति की नीलामी करवा सकते हैं।

(15). इन परिस्थितियों में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित आदेश में ऊपर उल्लिखित कानूनी खामी है, और इसलिए, सिविल जज (जेडी/ईटीसी (महिलाओं के खिलाफ अपराध), मुरादाबाद) द्वारा दिनांक 23/01/2023 को पारित विवादित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है, निम्नलिखित निर्देश के साथ:-

(i) संबंधित ट्रायल अदालत विपक्षी संख्या 2 को एक नया नोटिस जारी करेगी कि वह 19/7/2019 के आदेश के अनुपालन में, जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2023 तक की पूरी बकाया अंतरिम भरण-पोषण राशि ₹4,000 प्रति माह की दर से 15/5/2023 तक जमा करे।

(ii) यदि विपक्षी संख्या 2 इस अवधि के भीतर भरण-पोषण की पूरी बकाया राशि जमा करने में विफल रहता है, तो संबंधित न्यायालय विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम' की धारा 31 के तहत एक वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित करने के लिए कार्यवाही करेगा।



(iii) साथ ही, निर्धारित समय के भीतर पूरी बकाया राशि जमा करने में विफल रहने पर, संबंधित न्यायालय विपक्षी संख्या 2 की समस्त चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लेगा और आवेदक को देय बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए उक्त संपत्ति की नीलामी की जाएगी।

(iv) चूँकि संबंधित न्यायालय ने केवल अंतरिम भरण-पोषण निर्धारित किया है, इसलिए संबंधित न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले में तेज़ी लाए और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत केस संख्या 10095/2017 (हसीना खातून बनाम अहमद अली) का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करे। साथ ही, भरण-पोषण की अंतिम राशि की गणना करते समय, संबंधित न्यायालय विपक्षी संख्या 2 द्वारा दी गई अंतरिम भरण-पोषण की राशि को समायोजित करेगा और आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

16. उपरोक्त निर्देशों का समय सीमा के भीतर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह आवेदन निस्तारण किया जाता है।

14. विपक्षी संख्या 2 (पति) ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05/04/2023 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 14166/2023 दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 20/09/2024 के आदेश द्वारा, इस आधार पर कि पति (विपक्षी संख्या 2) को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, दिनांक 05/04/2023 के आदेश को रद्द करते हुए विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण कर दिया। परिणामस्वरूप, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन (संख्या 7721/2023)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया गया, साथ ही निर्देश दिया गया कि विवादित पक्षों को सुनने के बाद मामले का गुण-दोष के आधार पर निपटारा किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/09/2024 को पारित आदेश नीचे वर्णित है:-

"अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार को सुना गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार मिश्रा कर रहे हैं।

4. इस मामले में दिनांक 30/10/2023 को निम्नलिखित आदेश के साथ नोटिस जारी किया गया था:-

"देरी माफ़ की गई।"

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार को सुना।

अधिवक्ता का यह तर्क है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की सीआरपीसी की धारा 482 याचिका में याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित किया। इसके समर्थन में, अधिवक्ता विवादित आदेश दिनांक 05/04/2023 और 01/03/2023 व 17/03/2023 के दो पूर्व आदेशों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पढ़कर यह इंगित करेंगे कि याचिकाकर्ता को कभी नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह पाया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 7721/2023 में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। अदालत ने हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को सुनने के बाद ही विवादित आदेश पारित किया।

नोटिस जारी करें, जो चार हफ्तों में वापस आए।

यदि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 7721/2023 में उच्च न्यायालय के विवादित आदेश (दिनांक 05/04/2023) के कारण वास्तव में हिरासत में लिया जाता है, तो उसे इस मामले पर आगे विचार लंबित रहने तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत की शर्तें संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी।"

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश (दिनांक 05/04/2023) अपीलकर्ता को सुने बिना, और केवल प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवक्ता को सुनने के बाद पारित किया। प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का पुरजोर खंडन किया गया है।

6. उपरोक्त बातों पर विचार करने के पश्चात, हम विवादित आदेश (दिनांक 05/04/2023) को अपास्त करना उचित समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 7721/2023 को उसके मूल नंबर पर बहाल किया जाता है। अब उच्च न्यायालय को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता से भरण-पोषण की मांग कर रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह मामले का शीघ्रता से, अधिमानतः आठ सप्ताह की अवधि के भीतर निस्तारण करे।

8. उपरोक्त आदेश के साथ, मामला निस्तारित किया जाता है।

9. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इस आवेदन को पुनर्जीवित किया गया है और सुनवाई और निस्तारण के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

16. आवेदक (पत्नी) के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निचली अदालत द्वारा 23/01/2023 को पारित विवादित आदेश अन्यायपूर्ण और अनुचित होने के साथ-साथ कानून के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि संबंधित निचली अदालत ने गलत राय व्यक्त की है कि सीआरपीसी की धारा 300 के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने भरण-पोषण न देने के लिए पहले ही 30 दिनों की जेल की सजा काट ली है और इस प्रकार, उसे बरी कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, बकाया राशि के लिए विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध कोई वसूली वारंट जारी नहीं किया गया है। अतः, दिनांक 23/01/2023 का आक्षेपित आदेश अत्यंत अन्यायपूर्ण और अनुचित है, और इस न्यायालय द्वारा रद्द/अपास्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 23/05/1990 को आवेदक का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उनके वैवाहिक संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ; हालाँकि, दुर्भाग्य से, वह दिव्यांग है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि 21/07/1995 को, आवेदक ने थाना-छजलैट, जिला-मुरादाबाद में विपक्षी संख्या 2 और अन्य के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498-A, 323 और 504 तथा डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो अपराध संख्या 136/1995 के रूप में पंजीकृत है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि 13/09/1995 को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, मुरादाबाद द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जमानत दी गई थी। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि 14/10/1995 को, जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने के बाद, उक्त मामले में विपक्षी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि, जब उपरोक्त मामले का मुकदमा चल रहा था, आवेदक ने 02/02/2001 को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, विपक्षी संख्या 2 आवेदक को उसके पुत्र के साथ वापस ले जाने के लिए सहमत हो गया था। पक्षों के बीच मामले का प्रारंभिक रूप से मौखिक समझौता हो गया था; इसलिए, मामले के गवाह पक्षद्रोही हो गए। परिणामस्वरूप, 02/12/2011 को, विचारण न्यायालय ने मामले के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके बाद, आवेदक विपक्षी संख्या 2 के साथ फिर से रहने लगी, लेकिन 2013 में विपक्षी संख्या 2 ने फिर से आवेदक के साथ घरेलू हिंसा की, जिसके कारण उसे और उसके बेटे को एक बार फिर घर से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद आवेदक उसी गाँव में एक किराए के घर में रहने लगी। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक ने मुरादाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 4 के समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत और अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद, अंतरिम आवेदन पर, उसी न्यायालय द्वारा 19/07/2019 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें विपक्षी संख्या 2 (पति) को आवेदक को 4000/- रुपये प्रति माह और उसके दिव्यांग बेटे को 4000/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी, लेकिन अपील 01/04/2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी संख्या 2 ने आवेदन धारा 482 संख्या 11881 वर्ष 2022 दायर करके खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी, हालांकि, इस न्यायालय ने उक्त आवेदन को 02/11/2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि 02/11/2022 के आदेश को किसी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अंतिम हो गया है। इसलिए, विपक्षी संख्या 2 के लिए अब यह सवाल उठाना संभव नहीं है कि 19/07/2019 को पारित अंतरिम भरण-पोषण का आदेश कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। वे आगे कहते हैं कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40 के अनुसार, पिछला निर्णय और आदेश दूसरे मुकदमे या सुनवाई को रोकता है, क्योंकि मामला अंतिम रूप ले चुका है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक ने 23/01/2023 के आदेश को चुनौती दी है, जो 19/07/2019 के आदेश के निष्पादन के आवेदन पर पारित किया गया था।

18. **इसके विपरीत**, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत दायर निष्पादन वाद संख्या 697/2022 पोषणीय नहीं था। इसका कारण यह है कि घरेलू हिंसा न्यायालय द्वारा दिनांक 19/07/2019 को पारित आदेश अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत जारी नहीं किया गया



था। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का पुत्र पहले ही बालिग हो चुका है, इसलिए वह किसी भी मौद्रिक राहत का पात्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 23/01/2023 के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि यह विपक्षी संख्या 2 द्वारा दंड के रूप में भुगती गई तीस दिनों की कारावास की अवधि पर विचार करते हुए सही ढंग से पारित किया गया था। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

19. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि दिनांक 23/01/2023 का आक्षेपित आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील योग्य है। परिणामस्वरूप, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पोषणीय नहीं है।

20. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का अवलोकन किया है।

21. 19/07/2019 के आदेश की वैधता को इस स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत एक आवेदन (संख्या 11881/2022, अहमद अली उर्फ रमज़ानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में इस मुद्दे का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। इस न्यायालय ने 02/11/2022 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया था; चूंकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए वह अंतिम हो गया है। बाद के मुकदमे में, संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में एक निष्पादन आवेदन दायर किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 300 के तहत दलील को स्वीकार करने के बाद इस आवेदन को खारिज कर दिया, जो यह निर्धारित करती है कि जिस व्यक्ति को या तो दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है, उस पर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाली कार्यवाही का परिणाम न तो दोषसिद्धि है और न ही दोषमुक्ति। विपक्षी संख्या 2 (पति) 19/07/2019 के आदेश द्वारा प्रदान की गई भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, जो इस न्यायालय तक अंतिम हो चुका है। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने भुगतान न करने के कारण विपक्षी संख्या 2 को सिविल कारागार भेज दिया; ऐसी हिरासत सीआरपीसी की धारा 300 के दायरे में नहीं आती है। सीआरपीसी की धारा 300 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं :-

300. जिस व्यक्ति को एक बार दोषी ठहराया गया हो या बरी किया गया हो, उस पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।-(1) जिस व्यक्ति पर सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाली अदालत ने किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया हो और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी किया गया हो, तो जब तक वह दोषसिद्धि या बरी होने का आदेश लागू रहता है, उस पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा; और न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा जिसके लिए धारा 221 की उप-धारा (1) के तहत उस पर लगाए गए आरोप से अलग कोई आरोप लगाया जा सकता था, या जिसके लिए उसे उसकी उप-धारा (2) के तहत दोषी ठहराया जा सकता था।



(2) किसी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर, राज्य सरकार की अनुमति से, किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए बाद में मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए धारा 220 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पिछले मुकदमे में उसके विरुद्ध पृथक आरोप लगाया जा सकता था।

(3) जिस व्यक्ति को किसी ऐसे कृत्य से बने अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके परिणाम उस कृत्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न अपराध बनाते हैं जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, उस पर बाद में उस अंतिम उल्लिखित अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि परिणाम घटित नहीं हुए थे, या न्यायालय को उनके घटित होने की जानकारी नहीं थी, जब उसे दोषी ठहराया गया था।

(4) किसी कृत्य से बने किसी अपराध के लिए बरी या दोषसिद्ध व्यक्ति पर, ऐसे बरी या दोषसिद्ध होने के बावजूद, उसी कृत्य से बने किसी अन्य अपराध के लिए बाद में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उस पर पहली बार मुकदमा चलाया गया था, उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।

(5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किसी व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए तब तक पुनः विचारण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस न्यायालय की, जिसने उसे उन्मोचित किया था, या किसी अन्य ऐसे न्यायालय की, जिसके अधीनस्थ प्रथम-वर्णित न्यायालय है, सहमति न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(6) इस धारा की कोई भी बात जनरल क्लॉजेज़ एक्ट, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 188 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शिकायत का खारिज किया जाना, या अभियुक्त का उन्मोचन, दोषमुक्ति नहीं है।

22. सीआरपीसी की धारा 300 के प्रावधान घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप न तो दोषसिद्धि होती है और न ही दोषमुक्ति। इन मामलों में, अदालत केवल पीड़ित पक्ष (पत्नी) को भरण-पोषण की राशि प्रदान करती है, क्योंकि विपक्षी संख्या 2 (पति) द्वारा घरेलू हिंसा की गई है।

23. घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निर्धारित भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने से इनकार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 300 का सहारा लेना कानून के विपरीत प्रतीत होता है और संबंधित विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के प्रयोग न किए जाने को दर्शाता है।

24. इस न्यायालय ने दिनांक 07/09/2021 के आदेश द्वारा, आवेदन धारा 482 संख्या 6319 वर्ष 2021 (तरुण कुमार मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में, पैरा संख्या 11 और 17 में यह अभिनिर्धारित किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत भरण-पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है। पैरा 11 और 17 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. हालाँकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 'घरेलू हिंसा अधिनियम' के प्रावधानों पर विचार किया और धारा 2(g) के तहत दी गई "घरेलू हिंसा" की परिभाषा और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 का उपयोग घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत भरण-पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए किया जा सकता है।

17. अतः, उपरोक्त चर्चा के आलोक में और साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय को देखते हुए, जो उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने के बाद पारित किया गया था और एक विशेष कानून यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए-मेरी राय में, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित आदेशों के उल्लंघन के मामले में भी धारा 31 के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, यह आवेदन खारिज किया जाता है।"

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजनेश बनाम नेहा और अन्य, (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 324 में यह निर्धारित किया है कि भरण-पोषण की राशि खर्चों के लिए दी जाएगी और भुगतान न करने की स्थिति में, इसे धन डिब्री के रूप में वसूल किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 91, 92, 93, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 और 132 नीचे रेखांकित किए गए हैं :-

(d) नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण

91. बच्चे के भरण-पोषण के खर्च में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा के खर्च शामिल होंगे। बाल सहायता (चाइल्ड सपोर्ट) निर्धारित करते समय, बुनियादी शिक्षा के पूरक के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं या किसी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, अतिरिक्त/कोचिंग कक्षाओं के लिए दी जाने वाली राशि उचित होनी चाहिए, न कि अत्यधिक खर्चीली राशि जिसका दावा किया जा सकता है।

92. बच्चों की शिक्षा का खर्च सामान्यतः पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि पत्नी कार्यरत है और पर्याप्त कमाती है, तो खर्च दोनों पक्षों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जा सकता है।

(e) गंभीर विकलांगता या अस्वस्थता

93. पति या पत्नी, विवाह से उत्पन्न बच्चे/बच्चों या आश्रित रिश्तेदार की गंभीर विकलांगता या अस्वस्थता, जिसके लिए निरंतर देखभाल और आवर्ती व्यय की आवश्यकता हो, भरण-पोषण की राशि निर्धारित करते समय एक प्रासंगिक विचार होगा।

IV. भरण-पोषण की तिथि

114. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन आवेदकों के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या है। यदि भरण-पोषण का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो यह सामाजिक कल्याण कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। निष्पादन याचिकाएँ आमतौर पर महीनों, यदि वर्षों नहीं, तो लंबित रहती हैं, जो कानून के उद्देश्य को पूरी तरह से निष्फल कर देती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशीला वीरेश छाडवा बनाम वीरेश नागशी छाडवा [सुशीला वीरेश छाडवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम वीरेश नागशी छाडवा, 1995 एससीसी ऑनलाइन बॉम 315: एआईआर 1996 बॉम 94] में माना गया: (एससीसी ऑनलाइन बॉम पैरा 7)

“7... धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च का निर्देश अत्यावश्यक है और इसे उठाए जाते ही तय किया जाना चाहिए और... कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी या धन की कमी के कारण वैवाहिक मामले में मुकदमा चलाने या बचाव करने से अक्षम न हो जाए।”

115. भरण-पोषण आदेश के निष्पादन हेतु आवेदन निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है:

(a) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28-A, परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 18 और सीपीसी के आदेश 21 नियम 94 के साथ पठनीय, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित आदेश के निष्पादन हेतु (परिवार न्यायालय के समक्ष);

(b) घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(6) (न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष); और

(c) मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 128।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



117. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के अनुसार, यदि भरण-पोषण का आदेश प्राप्त व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है, तो उस राशि को जुर्माने की तरह वसूला जाएगा, और मजिस्ट्रेट उसे एक महीने तक की कैद या भुगतान होने तक (जो भी पहले हो) की सजा दे सकता है।

बचाव पक्ष की दलील को खारिज करना

118. कुछ पारिवारिक न्यायालयों ने भरण-पोषण का भुगतान न करने की स्थिति में प्रतिवादी का बचाव पक्ष समाप्त करने के आदेश पारित किए हैं, ताकि भरण-पोषण याचिका का शीघ्र निपटारा किया जा सके। कौशल्या बनाम मुकेश जैन [कौशल्या बनाम मुकेश जैन, (2020) 17 एससीसी 822 : 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1915] में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक पारिवारिक न्यायालय को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार भरण-पोषण का भुगतान न करने पर प्रतिवादी का बचाव पक्ष समाप्त करने की अनुमति दी।

119. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 'रानी बनाम प्रकाश सिंह' [रानी बनाम प्रकाश सिंह, 1996 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 52 : एआईआर 1996 पी एंड एच 175] मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें पति कई नोटिसों के बावजूद, दो साल से अधिक की अवधि तक भरण-पोषण के आदेश का पालन करने में विफल रहा। न्यायालय ने प्रतिवादी के बचाव को समाप्त करने की शक्ति का संज्ञान लेते हुए कहा कि: (एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच पैरा 7)



7..... कानून इतना असहाय नहीं है कि पति को जवाबदेह न ठहरा सके। यदि पति पत्नी को भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च देने में विफल रहता है, तो उसका बचाव पक्ष खारिज कर दिया जाए।

120. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोहिंदर वर्मा बनाम सपना [मोहिंदर वर्मा बनाम सपना, 2014 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 25147] मामले में बचाव को खारिज करने के मुद्दे पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की: (एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच पैरा 8)

8. अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी ज़रूरतमंद और निर्धन जीवनसाथी को वाद-लंबित भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च प्रदान करे, ताकि कार्यवाही उनके लिए किसी कठिनाई के बिना संचालित की जा सके। इस धारा के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होती है और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आवेदक को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है। यदि यह राशि आवेदक को भुगतान नहीं की जाती है, तो इस प्रावधान का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैवाहिक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन का उपाय अधिनियम की धारा 28-A के तहत उपलब्ध है, लेकिन यह उस जीवनसाथी का बचाव समाप्त करने में बाधक नहीं होगा जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करता है। सरल शब्दों में कहें तो, कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन न करने वाले जीवनसाथी का बचाव पक्ष (डिफेंस) खत्म कर देना, ज़रूरतमंद व्यक्ति को तुरंत राहत दिलाता है, न कि एक्ट की धारा 28-A के तहत इसके निष्पादन का अंतहीन इंतज़ार करना। जहाँ भरण-पोषण देने वाला जीवनसाथी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, वहाँ दूसरे जीवनसाथी को रकम वसूलने के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय लेने वाली निष्पादन कार्यवाही अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत अपने अंतरिम आदेशों की खुलेआम अवहेलना को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकती और न ही उनके तत्काल कार्यान्वयन में अपनी बेबसी जाहिर कर सकती है। अतः, अधिनियम में इस आशय के किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषी जीवनसाथी के बचाव को खारिज करना उचित होगा, न कि व्यथित पक्ष को निष्पादन के माध्यम से इसे लागू कराने के लिए छोड़ना, क्योंकि निष्पादन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। यह स्पष्ट है कि डिफॉल्ट करने वाले जीवनसाथी का बचाव हटा देने से, डिक्री या अंतरिम आदेश के निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा 28-A के तहत उपाय समाप्त नहीं होता है। अतः, जिस जीवनसाथी को भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया गया है, यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो कानूनी परिणाम यह होगा कि उक्त जीवनसाथी का बचाव हटा दिया जाएगा।

121. सतीश कुमार बनाम मीना [सतीश कुमार बनाम मीना, 2001 एससीसी ऑनलाइन डेल 817 : (2001) 60 डीआरजे 246] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय के पास प्रतिवादी के बचाव को खारिज करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

122. दिल्ली उच्च न्यायालय ने संतोष सहगल बनाम मुरारी लाल सहगल [संतोष सहगल बनाम मुरारी लाल सहगल, 2006 एससीसी ऑनलाइन डेल 585 : एआईआर 2007 डेल 210] में, विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया: (एससीसी ऑनलाइन डेल पैरा 3)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“3.... क्या अपील के दौरान पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च न चुकाने पर, प्रतिवादी पति की बात सुने बिना ही अपीलकर्ता पत्नी द्वारा तलाक के आदेश के खिलाफ दायर अपील को सीधे मंजूर किया जा सकता है?”

संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया: (संतोष सहगल मामला [संतोष सहगल बनाम मुरारी लाल सहगल, 2006 एससीसी ऑनलाइन डेल 585 : एआईआर 2007 डेल 210], S एससीसी ऑनलाइन डेल पैरा 5)

“5. रानी मामले में फैसले के हिस्से का संदर्भ [रानी बनाम प्रकाश सिंह, 1996 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 52:

ऊपर उद्धृत एआईआर 1996 P&H 175 से स्पष्ट होता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा ओडिशा उच्च न्यायालय ने एकमत होकर यह विचार व्यक्त किया है कि यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह अपने द्वारा या अपने विरुद्ध कार्यवाही में किसी भी वैवाहिक राहत का हकदार नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 'रानी मामले' [रानी बनाम प्रकाश सिंह, 1996 एससीसी ऑनलाइन पी&एच 52 : एआईआर 1996 पी&एच 175] में अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 'सतीश कुमार बनाम मीना' [सतीश कुमार बनाम मीना, 2001 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 817 : (2001) 60 DRJ 246] में किया गया है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं क्योंकि यह कानून के प्रथम सिद्धांत के अनुरूप है। हमारा मानना है कि जब एक पति लापरवाह है और अदालत द्वारा दिए गए भरण-पोषण का भुगतान अपनी पत्नी को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं करता है, तो वह वैवाहिक कार्यवाही में मांगी गई राहत का हकदार कैसे हो सकता है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि यदि पति अपील लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च पत्नी को देने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में पारित तलाक की डिक्री के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः, हमारे समक्ष संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है।"

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यदि अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी का बचाव पक्ष खारिज किया जा सकता है, और अपीलकर्ता पत्नी द्वारा दायर अपील को प्रतिवादी को सुने बिना स्वीकार किया जा सकता है।

123. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट 'गुरविंदर सिंह बनाम मूर्ति' [गुरविंदर सिंह बनाम मूर्ति, 1990 एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच 35 : (1990) 1 डीएमसी 559] मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें विचारण न्यायालय ने अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान न करने के कारण पति का बचाव खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 125(3) या धारा 421 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की वसूली के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, विचारण न्यायालय ने पति का बचाव पक्ष खारिज करके गलती की। कोर्ट की इस गलती से अंतरिम भरण-पोषण की वसूली में कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इससे दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद और लंबा खिंच गया।

124. सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में बचाव पक्ष को खारिज किया जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष वेंकटेश्वर द्विवेदी बनाम रुचि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्विवेदी [वेंकटेश्वर द्विवेदी बनाम रुचि द्विवेदी, 2017 एससीसी ऑनलाइन एमपी 2065 : (2018) 2 डीएमसी 103 (एमपी)] मामले में उठा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रवींद्र कुमार बनाम रेणुका, 2009 एससीसी ऑनलाइन कर्नाटक 481 मामले में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि न तो सीआरपीसी की धारा 125(3) और न ही पारिवारिक अदालत एक्ट की धारा 10, मजिस्ट्रेट या पारिवारिक अदालत को बचाव पक्ष को हटाने का अधिकार स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा देती है। भरण-पोषण की वसूली के लिए एक वैधानिक उपाय उपलब्ध था, और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में बचाव को हटाने की शक्ति मौजूद नहीं है। ऐसी शक्ति को स्वाभाविक या निहित शक्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने डेविस बनाम थॉमस [डेविस बनाम थॉमस, 2007 एससीसी ऑनलाइन कर्नाटक 358 : आईएलआर (2007) 4 कर्नाटक 389. साथ ही देखें सकीर हुसैन टीपी बनाम नसीरा, 2016 एससीसी ऑनलाइन केर 23592 : आईएलआर (2016) 4 केर 917] मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट के पास अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान न करने पर बचाव पक्ष को हटाने की शक्ति नहीं है।

भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन पर चर्चा और निर्देश

125. गुजारा-भत्ते के आदेश या डिक्री को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है। इसे मनी डिक्री (पैसे की वसूली के आदेश) को लागू करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों के ज़रिए लागू किया जा सकता है, जिसमें सिविल हिरासत, संपत्ति की कुर्की आदि शामिल हैं। ये प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं, खासकर धारा 51, 55, 58, 60 और ऑर्डर 21 में।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(e) भरण-पोषण के आदेशों का प्रवर्तन/निष्पादन

132. गुजारा-भत्ते के आदेशों को लागू करने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि गुजारा-भत्ते के आदेश या डिक्री को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28-A; घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(6); और सीआरपीसी की धारा 128 के तहत लागू किया जा सकता है, जो भी लागू हो। गुजारा-भत्ते के आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, खासकर धारा 51, 55, 58, 60 और ऑर्डर 21 के अनुसार सिविल कोर्ट की मनी डिक्री के तौर पर लागू किया जा सकता है।

26. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने डॉ. ललित चतुर्वेदी बनाम भारत सरकार (रिट याचिका No. 7167 of 2017) के मामले में 15/05/2017 को एक निर्णय पारित किया था, जिसके द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20(1)(d) के तहत दी गई मौद्रिक राहत को वैध माना गया था। यह याचिका पति-याचिकाकर्ता ने 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की धारा 20(1)(d) को चुनौती देते हुए दायर की थी। इस धारा में 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' की धारा 125 के तहत मिलने वाले सामान्य भरण-पोषण के अलावा अतिरिक्त भरण-पोषण देने का प्रावधान है। साथ ही, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के लागू होने का आधार भी बताया गया है। उक्त फैसले का संबंधित पैराग्राफ नीचे दिया गया है:-

"वर्तमान मामले में अनुच्छेद 20 लागू नहीं होता है, क्योंकि संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही अपराध के लिए नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सजा का आदेश दिया जाए। भरण-पोषण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की राशि का भुगतान न करने पर चूककर्ता को जेल में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी कार्यवाही न तो अभियोजन है और न ही किसी अपराध के लिए सजा की ओर ले जाती है, बल्कि, परिवार के सदस्यों को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादन कराने के लिए है।"

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीना कुमारी उर्फ रीना देवी उर्फ रीना बनाम दिनेश कुमार महतो और अन्य के मामले में यह व्यवस्था दी कि भरण-पोषण की कार्यवाही प्रकृति में दीवानी होती है, हालांकि इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस निर्णय के पैरा संख्या 10, 11, 12, 13 और 30 में यह भी माना गया कि, चूंकि भरण-पोषण दीवानी प्रकृति की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा आवारागर्दी को रोकने के लिए दिया जाता है, इसलिए भरण-पोषण के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल हैं। निर्णय के पैरा 10, 11, 12, 13 और 30 नीचे वर्णित हैं :-

"10. इसी तरह, चतुर्भुज बनाम सीता बाई, (2008) 2 एससीसी 316 मामले में, इस कोर्ट ने कहा कि गुजारा-भत्ता की कार्यवाही का मकसद किसी व्यक्ति को उसकी लापरवाही के लिए सजा देना नहीं है, बल्कि छोड़ी गई पत्नी को बेसहारा और दर-दर भटकने से बचाना है; इसके लिए उसे जल्द से जल्द खाना, कपड़े और रहने की जगह मुहैया कराई जाती है। यह निर्धारित किया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा समर्थित अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक दायरे में आता है। इस प्रकार, इस प्रावधान का उद्देश्य,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तब और अब, बेसहारा पत्नियाँ, बच्चों और अब माता-पिता की वित्तीय दुर्दशा को कम करना है, जिन्हें खुद के भरोसे छोड़ दिया गया है।

11. **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य, (2015) 6 एससीसी 353** में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सीआरपीसी की धारा 125 की परिकल्पना उस महिला की पीड़ा, व्यथा और वित्तीय कष्ट को कम करने के लिए की गई थी, जिसने प्रावधान में दिए गए कारणों से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है, ताकि न्यायालय द्वारा कोई उपयुक्त व्यवस्था की जा सके और वह स्वयं का और अपने बच्चों का, यदि वे उसके साथ हैं, भरण-पोषण कर सके। यह माना गया कि भरण-पोषण की अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि 'जानवर की तरह जीवन जिया जाए, खुद को अपमानित महसूस किया जाए और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कहीं और भटकना पड़े'; पत्नी को कानूनन वैसी ही जीवनशैली जीने का अधिकार है जैसी वह अपने पति के घर में जीती। अदालत ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह की कार्यवाही में, पति को पत्नी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लाभों से वंचित करने के लिए बहानेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है, जब तक कि अदालत का ऐसा आदेश न हो कि पत्नी कानूनी रूप से स्वीकार्य आधारों पर पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

12. इससे पहले, **'बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य' (2014) 1 एससीसी 188** मामले में, इस कोर्ट ने कहा था कि गुजारा-भत्ता का प्रावधान बेसहारा लोगों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय या समानता और व्यक्ति की गरिमा हासिल करने के मकसद से बनाया गया है। ऐसे मामलों से निपटते समय, विरोधी पक्ष वाली कानूनी लड़ाई के बजाय सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखकर फ़ैसला करने की ओर बढ़ना आज की ज़रूरत है। हाल ही में, **रजनीश बनाम**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नेहा और अन्य (2021) 2 एससीसी 324 मामले में, इस कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गुज़ारा-भत्ता से जुड़े कानून सामाजिक न्याय के तहत बनाए गए थे। इनका मकसद आश्रित पत्नियों और बच्चों को आर्थिक मदद दिलाना था, ताकि उन्हें कंगाली और बेघर होकर भटकने की नौबत से बचाया जा सके।

13. **शमीमा फ़ारूकी बनाम शाहिद खान (2015) 5 एससीसी 705** में, इस न्यायालय ने यह नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के पीछे निहित और मौलिक सिद्धांत उस वित्तीय स्थिति में सुधार करना है, साथ ही उस मानसिक पीड़ा और व्यथा को कम करना है जो एक महिला को तब झेलनी पड़ती है जब उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह भी देखा गया कि कानून के अनुसार, वह उसी तरह जीवन जीने की हकदार है जैसा वह अपने पति के घर में रहती; और जब तक वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार है, तब तक यह भत्ता इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वह सम्मान के साथ जी सके। अंत में, यह उल्लेख किया गया कि पति कभी-कभी यह तर्क देते हैं कि उनके पास नौकरी या व्यवसाय न होने के कारण भुगतान करने के साधन नहीं हैं, लेकिन ये केवल निराधार बहाने हैं और कानून में इनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। एक स्वस्थ, सक्षम और अपना खर्च उठाने में समर्थ पति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी का भरण-पोषण पाने का अधिकार, जब तक कि वह अयोग्य न हो, एक पूर्ण अधिकार है।

30. हमारे समक्ष एक अन्य दलील यह भी दी गई कि पारिवारिक न्यायालय, जो एक दीवानी न्यायालय है, द्वारा दांपत्य अधिकारों की बहाली के निर्णय में दिए गए निष्कर्ष, सीआरपीसी की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 125 के तहत याचिका पर विचार कर रही अदालत के लिए बाध्यकारी होंगे, क्योंकि इन्हें आपराधिक कार्यवाही माना जाना चाहिए। इस तर्कहीन दलील का उल्लेख केवल इसे सिरे से खारिज करने के लिए किया जाना चाहिए। निस्संदेह, **शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी, (2004) 1 एससीसी 438** में, इस न्यायालय ने माना था कि आपराधिक न्यायालय का निर्णय दीवानी न्यायालय को बाध्य नहीं करेगा, जबकि दीवानी न्यायालय का निर्णय आपराधिक न्यायालय को बाध्य करेगा। हालांकि, गुजारा-भत्ते से जुड़ी कार्यवाही मूल रूप से दीवानी प्रकृति की होती है और इससे संबंधित प्रावधानों को 'दंड प्रक्रिया संहिता' में शामिल करने का कारण भारत के विधि आयोग ने सितंबर, 1969 में स्पष्ट किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि, बहुत पहले 1963 में, **एमएसटी. जागीर कौर और अन्य बनाम जसवंत सिंह' (एआईआर 1963 एससी 1521)** मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488, जो सीआरपीसी की धारा 125 की पूर्ववर्ती है, के तहत कार्यवाही प्रकृति में दीवानी कार्यवाही है; यह उपाय एक संक्षिप्त उपाय है; और यह उपाय चाहने वाला व्यक्ति आमतौर पर एक असहाय व्यक्ति होता है। इसलिए, भले ही गुजारा-भत्ता देने के आदेश का पालन न करने पर सज़ा हो सकती है – जैसा कि सिविल कोर्ट के दूसरे आदेशों के मामले में भी हो सकता है – फिर भी ऐसी कार्यवाही को आपराधिक कार्यवाही नहीं माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शुरू की गई भरण-पोषण की कार्यवाही का नामकरण—चूंकि वे प्रावधान उसी में निहित हैं—ऐसी कार्यवाही की प्रकृति के संबंध में निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

28. उपरोक्त कारणों और चर्चाओं के आलोक में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत वाद संख्या 10095/2017 से उत्पन्न, उसी अधिनियम की धारा 31 के तहत निष्पादन वाद संख्या 697/2022 (श्रीमती हसीना खातून बनाम अहमद उर्फ रमज़ानी) में विद्वान सिविल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जज (जूनियर डिवीज़न)/एफटीसी (महिलाओं के खिलाफ अपराध, मुरादाबाद) द्वारा पारित दिनांक 23/01/2023 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है। किसी डिफॉल्टर को केवल सिविल जेल भेजने मात्र से ही वह अपनी पीड़ित पत्नी को मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। परिणामस्वरूप, संबंधित ट्रायल अदालत को बकाया राशि की वसूली के लिए एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें बकाया राशि पर 6% की दर से साधारण बैंक ब्याज भी शामिल होगा। यदि पति (विपक्षी संख्या 2) द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, चूँकि वह भरण-पोषण न देने के लिए पहले ही सिविल कारावास की अवधि काट चुका है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का ट्रायल न्यायालय विपक्षी संख्या 2 (पति) की संपत्ति कुर्क करेगा। प्राप्त राशि को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुरादाबाद, या जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद, या मुरादाबाद जिले के सिविल जज/मजिस्ट्रेट के किसी अन्य संबंधित न्यायालय के खाते में रखा जाएगा, जिसका उपयोग विलंबित भुगतान पर 6% साधारण बैंक ब्याज के साथ बकाया राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा। विपक्षी संख्या 2 आवेदक पत्नी और उनके दिव्यांग बेटे को नियमित रूप से वर्तमान मासिक भरण-पोषण का भुगतान करना जारी रखेगा, और उसके बाद, कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

29. भुगतान की उक्त प्रक्रिया इस आदेश के पारित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि आवेदिका (पत्नी) और उनका बच्चा (दिव्यांग) 1995 से संघर्ष कर रहे हैं।

30. यदि संबंधित पीठासीन अधिकारी समय पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने या आवश्यक आदेश पारित करने में विफल रहते हैं, जिससे आवेदक के हितों को नुकसान पहुँचाते हुए मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में अनावश्यक देरी होती है, तो उचित आदेश पारित किए जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप विषय पर लागू नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

31. उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

24 मार्च, 2026

मनीष हिमवान